राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा

क्रमांकः– कोर्ट / प्रार्थना पत्र / 21 / 2020 /   दायर दिनांक 11.05.2020

उनवानः– विनोद कुमार बनाम सरकार

–: आदेश :–

प्रार्थी विनोदकुमार पुत्र हरिसिह जैन वगैरह निवासी पिड़ावा द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम राजपुरा की आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 0.2403 हेक्टर शागलाती खाता दर्ज है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार पिड़ावा से जांच रिपोर्ट ली गई जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नंम्बर 93 ग्राम राजपुरा की आराजी पर खातेदार विनोद कुमार, अनीता पिरा0 हरिसिंह वगै0 का कब्जा पश्चिम दिशा मे रकबा 0.2403 है0 पर है। तहसील ऑनलाइन (DILRMP) होने के बाद ख0न0 93 नक्शें मे पूर्व दिशा मे दर्ज हो गया है। मौका व जमाबन्दी रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 93 रकबा 0.2403 हेक्टर की तरमीम पश्चिम दिशा मे तथा ख0न0 92 रकबा 0.2023 हेक्टर की पूर्व दिशा मे तरमीम शुद्ध करने की अनुशंषा प्राप्त है।

अतः प्रार्थी के तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार पिड़ावा, हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तथा रेकार्ड के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 मे खसरा नम्बर 93 रकबा 0.2403 हेक्टर की तरमीम पश्चिम दिशा मे तथा ख0न0 92 रकबा 0.2023 हेक्टर की पूर्व दिशा मे रेकार्ड पर तरमीमं शुद्ध किये जाने की आज्ञा एत्द द्वारा प्रदान की जाती है।

(श्रवणसिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

क्रमांकः– राजस्व / 2020 / 583-84   दिनांक 18/05/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार पिड़ावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु।
2. प्रार्थी श्री विनोदकुमार पुत्र हरिसिह जैन वगैरह निवासी पिड़ावा को सूचनार्थ।

(श्रवणसिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrawan Singh
Date: 2020.06.03 14:27:02 IST
Reason: SelfAttested